By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. TK/1/2017/STGHP/ATOTH/RU-I

Date: 16/08/2018

To

1. The Chief Secretary,
Govt. of Himachal Pradesh Secretariat,
Shimla-171001
Himachal Pradesh.
Fax: 0177 – 2621813.
Tel: 0177 – 2621022, 2880714.
Email: cs-hp@nic.in

2. The Director General of Police,
Police Headquarters,
Nigam Vihar,
Shimla – 171002
Himachal Pradesh.
Fax: 0177 – 2626222
Tel: 0177 – 2626938.
Email: dgp-hp@nic.in.

Sub: Representation of Shri Trilok Kapoor, National Vice-Chairman or Office In-charge, Anusuchit Janjati Morcha, Bhartiya Janata Party, New Delhi-110001 regarding derogatory comments on the Gaddi Scheduled Tribe of Himachal Pradesh by the Ex-Chief Minister of Himachal Pradesh State.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held on 07/08/2018 at 3:00 P.M. under the Chairmanship of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the recommendations of the Commission may please be sent to the NCST within stipulated time.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Trilok Kapoor,
National Vice-Chairman or Office In-charge,
Anusuchit Janjati Morcha,
Bhartiya Janata Party,
11, Ashok Road,
New Delhi-110001.
Tel: 23005700.
Fax: 23005780.

भारत सरकार

Govt. of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

भूतपूर्व मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा गद्दी अनुसूचित जनजाति के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण, गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान दिनाँक 09/08/2017 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में, दिनाँक 07/08/2018 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार में श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

(फ़ाइल संख्या : TK/1/2017/STGHP/ATOTH/RU-I)

बैठक की तिथि: 07/08/2018 को 3 बजे

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक में है।

श्री त्रिलोक कपूर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, अशोक रोड, नई दिल्ली ने अभ्यावेदन दिनाँक 14/08/2017 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनाँक 07/08/2017 को अपने ऊना जिला के प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सती पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं। प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कमतर बताने अथवा जताने के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी मेहनतकश गद्दी अनुसूचित जनजाति का उल्लेख इस प्रकार तंज कसते हुए कहा कि गद्दी समुदाय का कोई सामाजिक वजूद ही नहीं है। इस टिप्पणी के विरोध में गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा 09/08/2017 को धर्मशाला के नड्डी में मुख्य मंत्री के काफिले के दौरान शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के बाद, जब वे अपने घरों को वापिस लौट रहे थे तो पुलिस ने उन पर अचानक लाठी चार्ज कर दिया जिसमें कई लोग घायल हुए।

आयोग ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार से पत्र दिनाँक 14/08/2017 द्वारा मामले में तथ्यों तथा की गयी कार्यवाई भेजने का अनुरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में घटनास्थल का दिनाँक 18/08/2017 से 20/08/2017 तक दौरा किया। आयोग ने दौरा रिपोर्ट को पत्र दिनाँक 12/10/2017 (अनुस्मारक दिनाँक 20/12/2017) द्वारा मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया कि आयोग की अनुसंशाओ पर तुरंत रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें। आयोग की दौरा रिपोर्ट का निष्कर्ष / अनुसंशाये निम्नवत है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

"आयोग ने यह माना कि भोले-भाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का कानूनी अधिकार है। परंतु पुलिस ने गद्दी समुदाय के लोगों पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया जिससे कई लोगों को चोटें आई तथा उन्ही के खिलाफ़ मुकदमे भी दर्ज़ किए गए। आयोग महसूस करता हैं कि उपरोक्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ़ दर्ज़ किए गए मुकदमे वापिस लिए जाए। निष्पक्ष उच्चाधिकार समिति से जाँच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की जाए तथा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए"

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग, गृह विभाग तथा पुलिस महानिदेशक ने अंतर विभागीय पत्राचार की प्रति भेजी। पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा ने पत्र दिनाँक 07/03/2018 के माध्यम से पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाई की सूचना उपलब्ध करायी। परंतु, आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओ पर, मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनाँक 07/08/2018 को दोपहर तीन बजे मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार और श्री त्रिलोक कपूर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, अशोक रोड, नई दिल्ली के साथ प्रकरण पर की गई तथा की जाने वाली कार्यवाई की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने का निर्णय लिया। आयोग ने पत्र दिनाँक 26/07/2018 द्वारा बैठक की सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या गृह – C (F) 4-1/2017 दिनाँक 06/08/2018 द्वारा संयुक्त सचिव (गृह) को सिटिंग मे उपस्थित होने की सूचना दी तथा साथ में मुख्य सचिव के ओर से मामले में तथ्यों की रिपोर्ट भी भेजी। रिपोर्ट मे सूचित किया कि प्रकरण मे जाँच अभी जारी है और प्रकरण बंद नहीं हुआ है। गद्दी समुदाय के नेताओं के साथ जैसे ही मीटिंग / जाँच पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद अंतिम रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या L&O – 28-2017-18800 दिनाँक 03/08/2018 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस मुख्यालय, शिमला को उपस्थित होने के सूचना दी तथा साथ में पुलिस महानिदेशक द्वारा मामले में तथ्यों की रिपोर्ट भी भेजी। रिपोर्ट मे सूचित किया कि प्रकरण मे जाँच अभी जारी है और प्रकरण बंद नहीं हुआ है। गद्दी समुदाय के नेताओं के साथ जैसे ही मीटिंग / जाँच पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद अंतिम रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों से आयोग द्वारा की गयी अनुसंशाओ पर की गयी तथा की जाने वाली कार्यवाई को बताने को कहा। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा द्वारा जाँच की जा रही है। क्योंकि, गद्दी समुदाय के नेताओ का विधान सभा इलैक्शन तथा अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्त होने के कारण, वे लोग पुलिस को जाँच मे सहयोग नहीं दे पाए । जिसके कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाई नहीं की जा सकी। गद्दी समुदाय के नेताओ से वीडियो क्लिप उपलब्ध कराने तथा जाँच में सहयोग करने के लिए कहा गया है, जैसे ही उनसे वीडियो क्लिप तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे, प्रकरण में जाँच पूर्ण कर, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

गद्दी समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज़ किए गए मुकदमे वापिस लेना, जो आयोग ने दौरा रिपोर्ट में अनुसंशा की थी के संबंध में, हिमाचल सरकार के अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण विधि विभाग को भेजा जा चुका है। मुकदमा वापिस लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है, सर्वप्रथम संबन्धित जिले का पुलिस अधीक्षक, उस जिले के जिला अधिकारी को रिपोर्ट देता है। इसके बाद जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट को गृह विभाग को भेजता है तदुपरान्त गृह विभाग, विधि विभाग के परामर्श के बाद मुकदमा वापिस लेता है।

आयोग ने दौरा रिपोर्ट में अनुसंशा की थी कि पीड़ित लोगों को मुआवज़ा दिया जाए, इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने अवगत कराया कि, पीड़ित व्यक्ति राज्य सरकार को अपना चिकित्सा बिल उपलब्ध कराये उसकी अदायगी कर दी जाएगी।

आयोग ने दौरा रिपोर्ट में अनुसंशा की थी कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जाए, इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने अवगत कराया कि पुलिस द्वारा लिए गए वीडियो क्लिप में कोई पुलिस अधिकारी / कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है। गद्दी समुदाय के नेताओ / लोगो द्वारा घटना स्थल पर वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया जाए, जिससे मामले की सत्यता की जाँच हो सके और दोषी पुलिस अधिकारियों को चिन्हित करके उन्हें नियम के अनुसार दंडित किया जा सके।

अभ्यावेदक ने पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गयी कार्यवाई पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि प्रकरण में अनुसूचित जातिया एवं अनुसूचित जनजातिया (अत्याचार का निवारण) अधिनियम 1989 के तहत भूतपूर्व मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाई की जानी चाहिए थी। जिस पर राज्य सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तथा आयोग द्वारा कोई अनुसंशा भी नहीं की गयी।

दिनाँक 07/08/2018 को सिटिंग में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा उपस्थित अधिकारियों एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव (गृह विभाग) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, शिमला तथा अभ्यावेदक के साथ विचार – विमर्श के बाद आयोग ने, प्रकरण पर निम्नलिखित अनुसंशाए की:

(1) भूतपूर्व मुख्य मंत्री, (श्री वीरभद्र सिंह) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनाँक 07/08/2017 को ऊना में गद्दी समुदाय के लिए सार्वजनिक रूप से की गयी अपमानजनक टिप्पणी पर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध द्वारा अनुसूचित जातिया एवं अनुसूचित जनजातिया (अत्याचार का निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत उचित कार्यवाई की जाए।

(2) इस प्रकरण से संबन्धित गद्दी समुदाय के पीड़ित लोगों के विरुद्ध मुकदमे वापिस करने हेतु उचित कार्यवाई की जाए।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(3) पीड़ित व्यक्तियों को उचित मुआवजा / चिकित्सा बिल तथा अन्य साक्ष्य प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाए।

(4) इस सम्पूर्ण घटना की जाँच पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा करायी जाए।

(5) मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, सिटिंग के मिनट्स प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, प्रकरण पर की गयी / की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट आयोग को अवगत कराए।

14.8.18

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

Govt. of India
National Commission for Scheduled Tribes

(TK/1/2017/STGHP/ATOTH/RU-I)

Date of Sitting: 07/08/2018 at 3:00 P.M.

भूतपूर्व मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा गद्दी अनुसूचित जनजाति के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण, गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान दिनाँक 09/08/2017 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम एवं पद
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
1.	श्री नन्द कुमार साय , अध्यक्ष
2.	सुश्री अनुसुइया उइके, उपाध्यक्ष
3.	श्री एच. के. डामोर, सदस्य
4.	श्री एस. के. रथ, सयुंक्त सचिव
5.	श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
6.	श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
II	**मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश**
1.	श्री कैलाश चन्द्र गौर, संयुक्त सचिव (गृह विभाग)
III	**पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार**
1.	श्री ए. पी. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक
IV	**अभ्यावेदक**
1.	श्री त्रिलोक कपूर